उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2

संख्या-49/2016/वे0आ0-2-1045/दस-05(वे0स0)/2016

लखनऊ : दिनांक : 26 अगस्त, 2016

<u>प्रेस-विज्ञप्ति</u>

सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर केन्द्र सरकार द्वारा वेतनमानों के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय के फलस्वरूप राज्य सरकार ने प्रदेश के विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों के वेतनमानों के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में विचार कर संस्तुति देने हेतु शासकीय संकल्प संख्या-38/ 2016/वे0आ0-2-876/दस-01(एम)/2016, दिनांक 11 अगस्त, 2016 द्वारा वेतन समिति का गठन किया गया है।

2- वेतन समिति द्वारा राजकीय कर्मचारियों, राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों, स्थानीय निकायों, जिला पंचायतों, विकास प्राधिकरणों, जल संस्थानों, प्रदेश के सार्वजनिक उपक्रमों/ निगमों तथा स्वशासी संस्थाओं के कर्मचारियों के सम्बन्ध में राज्य की आर्थिक स्थिति, संसाधनों, वित्तीय क्षमता तथा विकास एवं अन्य प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रख कर वेतनमानों के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में अपनी संस्तुति राज्य सरकार को प्रस्तुत की जायेगी।

3- समिति कर्मचारी सेवा संघों तथा इस मामले में रूचि रखने वाले नागरिकों से सन्दर्भगत विषयों पर बहुमूल्य विचार आमंत्रित करती है। वेतन समिति के विचारार्थ जनसाधारण, बुद्धिजीवियों तथा कर्मचारी सेवा संघों के सुझाव/विचार/ज्ञापन के प्रथम पृष्ठ के दाहिनी ओर सबसे ऊपर ''वेतन समिति (2016) के लिए'' अंकित करते हुए E-mail pc2016-up@gov.in पर अथवा निम्न पते पर प्रेषित किये जा सकते हैं :--

श्री अजय अग्रवाल,
सचिव, वित्त एवं
सदस्य सचिव, वेतन समिति,
नवीन भवन, कक्ष संख्या-39,
उत्तर प्रदेश सचिवालय, लखनऊ-226001

(अजय अग्रवाल)
सचिव, वित्त एवं सदस्य सचिव,
वेतन समिति।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in